18107

वकील प्रार्थी एवं पैरोकार राज उपस्थित। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि मेरे सभी दस्तावेजात में मेरा नाम प्रतापसिंह अंकित है जबकि वाके रोही **नोखा गांव** की संयुक्त खातेदारी भूमि के खेत खसरा नम्बर 10 रकबा 2.90 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 12 रकबा 20.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 264 रकबा 1.93 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 577 रकबा 14.32 हैक्टेयर कुल क़िता 4 कुल रकबा 39.32 हैक्टेयर, भूमि के राजंस्व रिकार्ड में मेरा का नाम बाबूसिह अंकित है। जिसे दुरूस्त फरमाया जावे। पैरोकार राज ने निवेदन किया कि इस प्रकरण में राज्य हित प्रभावित नहीं हो रहा है।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस के कथानो पर मनन किया, जिससे पाया गया कि प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जाना न्यायहित में सही है। अतः प्रार्थी का नाम शुद्ध किये जाने के हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत आदेश दिये जाते है कि वाके रोही **नोखा गांव** की संयुक्त खातेदारी भूमि के खेत खसरा नम्बर 10 रकबा 2.90 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 12 रकबा 20.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 264 रकबा 1.93 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 577 रकबा 14.32 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 39.32 हैक्टेयर, भूमि के राजस्व रिकार्ड में बाबुसिंह पुत्र जीवराजसिंह के स्थान पर प्रतापसिंह पुत्र जीवराजसिंह नाम दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। शेष प्रविष्ठिया यथावत रहेगी। आदेश की प्रति तहसीलदार नोखा को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तरतीक तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। बसरे इजलाश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(रमेश देव)
उपखण्ड अधिकारी, नोखा

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Dev
Date: 2019.11.27 16:58:10 IST
Reason: SelfAttested